

भीमराज खत्री बनाम लो.सू.अ. ( अपर जिला कलक्टर जोधपुर )

सू.अ.अ. अपील संख्या 101/2020

07.09\_20

अपीलार्थी भीमराज खत्री, पता अस्पताल रोड़, तिंवरी-342306 जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 22.06.20 में उसके द्वारा (1) स्वायत शासन विभाग राज. जयपुर की ओर से ग्राम पंचायत तिंवरी को नगरपालिका का दर्जा दिलाने बाबत जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर द्वारा उक्त संदर्भ में स्वायत शासन विभाग समेत अन्य कार्यालय से हुए सम्पूर्ण पत्राचार की सत्यापित छाया प्रति उलब्ध कराने व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा आधी अधुरीसूचना दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो.पक्ष ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेसपो.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, परन्तु अपीलार्थी स्वयं द्वारा अपील के साथ लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना की प्रतियां भी संलग्न की है। चूंकि जो सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध थी वो लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी जा चुकी है अन्य दो बिन्दुओं से संबंधित जो सूचना मांगी गई वो सजृनात्मक है अतः ऐसी सूचना दिये जाने का प्रावधान नहीं है अतः अपील अपीलार्थी इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।

